अजमेर दरगाह में शिव मंदिर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने** सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती **की दरगाह** के भीतर **शिव मंदिर की मौजूदगी का** दावा करने वाले एक दीवानी मुकदमे के संबंध में तीन पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

मुख्य बिंदु

- सितंबर 2024 में दायर इस मुकदमे में **दरगाह के भीतर एक शिव मंदिर के अस्तित्व का दावा किया गया है** और मंदिर में **पूजा फिर से शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई है।**
- **अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय** और नई दिल्ली स्थित भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है।
- **ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती:**
  - मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का जन्म 1141-42 ई. में **ईरान के सिजिस्तान (आधुनिक सिस्तान) में हुआ था।**
  - मुइज़ुद्दीन मुहम्मद बिन साम गौर ने तराइन के दूसरे युद्ध (1192) में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था और दिल्ली में अपना शासन स्थापित कर लिया था, उसके बाद **ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में रहना और उपदेश देना शुरू कर दिया था।**
  - आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण उनके शिक्षाप्रद प्रवचनों ने जल्द ही स्थानीय जनता के साथ-साथ दूर-दूर से राजाओं, कुलीनों, किसानों और गरीबों को भी अपनी ओर आकर्षित किया।
  - **अजमेर स्थित उनकी दरगाह पर** मुहम्मद बिन तुगलक**, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर,** शाहजहाँ**, दारा शिकोह और औरंगजेब** जैसे शासकों ने ज़ियारत की।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI)

- **संस्कृति मंत्रालय** के अधीन ASI, देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।
- प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्व स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958 ASI के कामकाज को नियंत्रित करता है।
- यह राष्ट्रीय महत्त्व के 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का प्रबंधन करता है।
- इसकी गतिविधियों में पुरातात्त्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव आदि शामिल हैं।
- इसकी स्थापना **1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी।** अलेक्जेंडर कनिंघम को "भारतीय पुरातत्त्व के जनक" के रूप में भी जाना जाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/shiva-temple-in-ajmer-dargah